फरीदाबाद

मजदूर समाचार

राहें तलाशने-बनाने के लिए मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों म एक जरिया

यामाहा सूरजपुर

परमानेन्ट करने के झाँसे में 8-10 साल लगातार काम करवा कर कम्पनी ने 300 कैजुअल वरकरों को नौकरी छोड़ने को मजबूर कर दिया है।

नई सीरीज नम्बर 182 अगस्त 2003

दुर्गत बढाने के तरीके

हमारे द्वारा की जाती मेहनत के नतीजे हमें अधिक दबाने-निचोड़ने के जरिये बनते रहे हैं। पाँच-सात हजार वर्ष से उल्टी बह रही है समाज रूपी गँगा। ✱ पृथ्वी के अंश मानव ने पृथ्वी के चन्द क्षेत्रों में पृथ्वी के दोहन की राह पर कदम बढाये थे। पशुओं को नाथना अपने संग मानवों की दासता लाया। तन और मन की पीड़ा की उपज बने पिरामिड और महाकाव्य। दासों के तन-मन की पीड़ा तो अथाह थी ही, स्वामियों की बेचैनी की भी कोई सीमा नहीं थी। स्वामी समाज में जीवन को ही नहीं बल्कि स्वयं जीवन को शाप करार दे कर स्वामी सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध बन कर मृत्यु-मोक्ष का परचम फहराया और समाज के विनाश के लिये भिक्षु बनने की राह सुझाई। ✱ बढती गई दोहन-शोषण की प्रक्रिया पृथ्वी की सतह को हल की फाल से छीलने के संग पृथ्वी के विशाल क्षेत्र में भूदासों की कतारें लाई। किले-महल-युद्ध-चौथ वसूली की जुगलबन्दी में त्याग-तपस्या-भक्ति तन और मन की पीड़ा के वाहक बने। रणछोड़दास सन्त बने। ✱ पृथ्वी के गर्भ को चीरने को अग्रसर भाप-कोयले से आरम्भ हुई वर्तमान दोहन-शोषण वाली समाज व्यवस्था ने सम्पूर्ण पृथ्वी को अपनी जकड़ में ले लिया है। बिजली रात को खा गई है। कम्पनी-कारपोरेशन-संस्था, कम्प्युटर, मानव-निर्मित उपग्रह की श्रँखला ने व्यक्ति के होने अथवा नहीं होने को समान-सा कर दिया है। गौतम बुद्ध के समय की तुलना में आज व्यक्ति व समाज के बीच शत्रुता इस कदर बढ गई है कि इसे बयान करने के लिये रूपक ढूँढना तक माथा-पच्ची लिये है। ✱ कसते जा रहे घातक वृतों में दरारें डालने के लिये आसपासवालों के बीच तालमेल प्रस्थान-बिन्दू लगते हैं। और, एक-दूसरे की कमजोरियों के दोहन-शोषण वाले आचार-विचार आसपासवालों के बीच तालमेलों में तकलीफदायक बाधा बनते हैं।

●हर वक्त हम परेशानियों से घिरे रहते हैं और परेशानियाँ हैं कि बढती जा रही हैं। अक्सर कहा-सुना जाता है कि पूरी समाज व्यवस्था ही खराब है और यही समस्याओं की जड़ में है। तत्काल वाली कई दिक्कतों की प्रत्यक्ष जननी के तौर पर सरकार, कम्पनी, नगर निगम-पंचायत, पार्टी-नेता-अफसर को भी चिन्हित किया जाता है। हमारे यह अहसास-आंकलन आमतौर पर सही भी होते हैं। ऐसे में आपस में तालमेलों द्वारा हम कदम उठाते हैं तब राहत प्राप्त करने की दिशा में तो बढते ही हैं, व्यवस्था-परिवर्तन की राह पर भी अग्रसर होते हैं।

लेकिन इस सब के उलट भी हम बहुत कुछ करते हैं।

●जमाना खराब है। दुनियाँ दुश्मन है। समय ही ऐसा आ गया है.... इस प्रकार की बातें भी अक्सर कहने-सुनने में आती हैं। हमारे विचार से यह भी सच्चाई का एक बयान है।

लेकिन सच्चाई को दर्शाती यह बातें हमें कहाँ-कहाँ ले कर जाती हैं! जैसे-तैसे काम निकाल लो..... किसी तरह जिन्दगी कट जाये.. ..कैसे भी निपटो पर जो सामने है उस से निपटो, कल किसने देखा.... सही-गलत कुछ नहीं होता, सब चलता है.... मतलब मात्र एक है: काम निकालो!

● समाज व्यवस्था, सरकार, कम्पनी से तत्काल निपट पाना अक्सर सम्भव नहीं लगता। सीधी भिड़न्त के लिये यह बहुत शक्तिशाली भी लगती हैं और इन से सीधे भिड़ जाने में परेशानियाँ बढती ही दिखती हैं। यहाँ तक तो बात ठीक-ठाक लगती है। परन्तु.... परन्तु मण्डी के आचार-विचार के सरूर में कई बार तत्काल राहत के लिये हम अपने जैसों में से कमजोरों को छाँटते हैं और अपने बोझे-परेशानी को उन पर सरकाने के लिये तिकड़में करते हैं। ऐसा करते वक्त हम नैतिकता को तिलांजली दे देते हैं और अपने पड़ोसियों, अपने सहकर्मियों के संग टुच्चेपन की कोई सीमा नहीं रखते। और फिर, अपने जैसों से उलझों के लिये सरकार-कम्पनी माईबाप बन जाती है।

> तत्काल और क्षणिक, सतही और छिछले रिश्ते मण्डी के अनुसार आचार-विचार का चरित्र है।

दुच्ची राहत के लिये अपने आसपासवालों से बिगाड़ना, क्षुद्र स्वार्थ के लिये अपने सहकर्मियों से बैर मोल लेना ऐसा नासूर है जो सतत रिसता रहता है और दुर्गत बढाता है।

{मण्डी के लिये उत्पादन के आरम्भ और विस्तार में नैतिक मान्यतायें भी एक प्रमुख बाधा रही है। नैतिकतायें उलझी-गुँथी थी धर्मों में और धर्म क्रूर बेगार-प्रथा के स्तम्भ थे। अपने लिये स्थान बढाने के लिये धर्मों से उलझती मण्डी व्यवस्था ने पाखण्ड और क्रूरता पर चोट की ओट में वास्तव में नैतिकता को निशाना बनाया। दबदबा कायम होने के बाद मण्डी ने धर्मों के पाखण्ड को पाला-पोसा है। उत्पादन-उपभोग के विनाशकारी संकरेपन में जीवन को ले आई मण्डी व्यवस्था के वाहक विज्ञान की आलोचना नई नैतिकताओं की रचना के लिये प्रस्थान-बिन्दू लगती है। आइये, दोहन-शोषण की प्रवृति-लक्ष्य पर ही प्रश्न उठायें।}■

> नैतिकता को बची-खुची परम्परा की फालतू की बेड़ी करार दिया जा रहा है। नैतिक पाबन्दियों से पिण्ड छुड़ाने को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह मण्डी का खेल है प्यारे।

अपनों से

महिला मजदूर : "फैक्ट्री में तो परेशानियाँ रहती ही हैं, ड्युटी जाते और ड्युटी से आते समय रास्तों में भी हमें तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। कुछ लोग भद्दी और गन्दी बातें व इशारे करते हैं और जब-तब शरीर को चोट भी मार जाते हैं। पैदल से ज्यादा डर साइकिल पर रहता है और आटो में भी चैन नहीं। महीने-भर के हिसाब से ले जाते आटोवाले एक आटो में 12-13 लड़कियों को बैठने को मजबूर करते हैं। आटो में किनारे डण्डे पर बैठी लड़कियों को कुछ साइकिल-मोटरसाइकिल सवार चलती आटो में पीछे से चाणचक्क जोर से थप्पड़ मार जाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? चन्द लोग जो ऐसी हरकतें करते हैं उन पर बाकी लोग चुप क्यों रहते हैं?"

मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन. आई. टी. फरीदाबाद-121001 (यह जगह बाटा चौक और मुजेसर के बीच गंदे नाले की बगल में है।)

झुग्गी तोड़ो-झुग्गी बचाओ-झुग्गी की जड़-झुग्गी के पार

प्रेषक : महेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओंकार शरण , मकान नं. डी/145 ए.सी, नगर नीलम- बाटा रोड़, फरीदाबाद- 121001

प्रेषित : न्यायालय श्री बलवान सिंह भांकर, एच.सी.एस., कलेक्टर पलवल, मुकाम कमरा नं. 301, सैक्टर- 12, फरीदाबाद

विषय : नोटिस अंतर्गत धारा 4 (1) पब्लिक प्रिमिसेज 1695 (बेदखली तथा किराया वसूली) अधिनियम 1972 (हरियाणा)

महोदय,

आयुक्त नगर निगम द्वारा आपके पास दायर प्रार्थनापत्र बेदखली पर मेरे मकान का नम्बर नहीं है जबकि स्वयं नगर निगम ने मेरे मकान को नम्बर दिया हुआ है : डी/145 । श्रीमान, दावे पर दिनांक तक अंकित नहीं है। **आयुक्त नगर** निगम फरीदाबाद, जिनके द्वारा श्रीमान के न्यायालय में प्रार्थनापत्र बेदखली दायर किया गया है, उन श्रीमान के प्रार्थनापत्र पर हस्ताक्षर हैं ही नहीं। स्पष्ट है कि उपरोक्त नगर निगम का दावा मात्र खानापूर्ति के लिये है। ऐसे में प्रथम दृष्टया ही नगर निगम का दावा खारिज करने योग्य है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि नगर निगम फरीदाबाद के प्रार्थनापत्र बेदखली को खारिज करें।

2. श्रीमान, **जो असल मुद्दा है वह यह है:** हालांकि फरीदाबाद नगर का आरम्भ 1947 में शरणार्थी बनाये लोगों में से कुछ को टिन की झौंपड़ियों (नेसान हट्स) में टिकाने के लिये किया गया था लेकिन शीघ्र ही यह एक योजनाबद्ध औद्योगिक नगर का रूप अख्तियार कर गया। केन्द्र सरकार, हरियाणा सरकार (पूर्ववर्ती पंजाब सरकार), स्थानीय प्रशासन तथा हुडा जैसी संस्थायें फरीदाबाद से गहन रूप से जुड़ी रही हैं। फरीदाबाद में फैक्ट्रियों के लिये सैक्टर बनाये गये हैं यथा सैक्टर- 4, सैक्टर- 5, सैक्टर- 6, सैक्टर- 24, सैक्टर- 25, इन्डस्ट्रीयल एरिया, न्यू इन्डस्ट्रीयल एरिया, डी एल एफ इन्डस्ट्रीयल एरिया, सैक्टर- 27, सैक्टर- 31, सैक्टर- 58, सैक्टर- 59 आदि। इन योजनाबद्ध स्थापित की गई फैक्ट्रियों तथा इन फैक्ट्रियों के लिये पुर्जे बनाती वर्कशापों में कुल मिला कर आज पाँच लाख मजदूर काम करते हैं। सरकारी अधिकारियों, कुछ सरकारी कर्मचारियों, फैक्ट्रियों के सुपरवाइजरों व मैनेजरों तथा डायरेक्टरों के निवास के लिये भी योजनाबद्ध सैक्टर बनाये गये हैं यथा सैक्टर- 3, सैक्टर- 7, सैक्टर- 8, सैक्टर- 9, सैक्टर- 10, सैक्टर- 11, सैक्टर- 14, सैक्टर- 15, सैक्टर- 16, सैक्टर- 17, सैक्टर- 18, सैक्टर- 19, सैक्टर- 21, सैक्टर- 22, सैक्टर- 23, सैक्टर- 28, सैक्टर- 29, सैक्टर- 55 आदि। प्रशासनिक कार्यालयों के लिये सैक्टर- 12 तथा संस्थाओं के लिये सैक्टर- 20 बनाये गये हैं। योजनाकारों ने हरित पट्टियों के लिये भी स्थान नियत किये हैं। जाहिर है कि नीति निर्माताओं तथा योजनाकारों ने फरीदाबाद के निर्माण में बहुत चिन्तन एवं अथक प्रयास किये हैं। लेकिन श्रीमान, **फरीदाबाद में काम करते पाँच लाख मजदूरों के लिये सैक्टरों की कतारों की बात तो बहुत दूर रही, फरीदाबाद के लिये नीति व योजना में मजदूरों के निवास के लिये कोई स्थान ही निर्धारित नहीं किये गये हैं।** श्रीमान, नीति निर्माताओं और नगर योजनाकारों ने मजदूरों के फरीदाबाद में निवास करने को ही गैरकानूनी करना सुनिश्चित किया है।

3. सरकार द्वारा हम मजदूरों के होने को ही अवैध करार देने के कारण फैक्ट्रियों में खटने के अलावा अतिरिक्त परेशानियाँ भी हमें झेलनी पड़ी हैं। श्रीमान, रोटी की तलाश में 1968 में मैं एटा जिले में अपने गाँव मिसौली से फरीदाबाद आया। यहाँ मैंने आयशर ट्रैक्टर, सुपर डीजल, बुशिंग स्मिथ, इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, एस्कोर्ट्स और गेडोर- झालानी टूल्स इण्डिया लिमिटेड में काम किया है। निवास के लिये कोई प्रबन्ध मजदूरों के लिये फरीदाबाद में नहीं था। कुछ दिन किरायेदार के तौर पर दुर्गत झेलने के बाद 1969 में गन्दे नाले की बगल में ऊबड़- खाबड़ जगह को समतल करके मैंने अपने निवास के लिये झुग्गी बनाई। मेरी ही तरह अन्य मजदूरों ने भी इसी प्रकार अपनी- अपनी रिहाइश के लिये प्रबन्ध किये। मजदूरों द्वारा किये गये निवास के प्रबन्ध नगर निगम (मिश्रित प्रशासन) एवं सरकार के अनुसार अनियमित हैं, अवैध हैं। कई प्रकार से परेशान कर तथा वसूलियों के पश्चात मजदूरों की रिहाइश के चन्द स्थानों को सरकार द्वारा नियमित किया गया है लेकिन मजदूरों की रिहाइश के अधिकतर स्थान फरीदाबाद में आज भी गैरकानूनी हैं।

4. **पैंतीस वर्ष के अपने फरीदाबाद निवास पर मुड़ कर देखता हूँ तो कुछ सवाल साफ-साफ दिखाई देते हैं। हम मजदूरों को मजबूर किया गया है नारकीय स्थितियों में निवास करने को। नीति निर्माताओं और नगर योजनाकारों ने योजनाबद्ध औद्योगिक नगर फरीदाबाद में मजदूरों के निवास के लिये स्थान नहीं रख कर हमें गन्दगी में रहने को मजबूर किया है। इस प्रकार सस्ता मजदूर प्राप्त करने के हथकण्डों का मेरे शारिरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर दुश्प्रभाव पड़ने के संग-संग मेरे मन पर भी भारी बोझ पड़ा है।** श्रीमान, प्राकृतिक न्याय अनुसार मैं तथा मेरे जैसे अन्य मजदूर क्षतिपूर्ति के वास्तविक हकदार हैं। श्रीमान से अनुरोध है कि कम से कम मजदूरों की नई पीढी के निवास के लिये हुडा, हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम और सरकार को निर्देश दें कि फरीदाबाद में कार्यरत पाँच लाख मजदूरों की रिहाइश के लिये सैक्टरों का निर्माण तुरन्त आरम्भ करें। श्रीमान से हुडा एवं नगर निगम को यह निर्देश देने का अनुरोध भी है कि मजदूरों की रिहाइश के लिये सैक्टर निर्माण से पहले अब जो रिहाइशी बस्तियाँ हैं उन्हें नहीं तोड़ें।

5. **चन्द शब्द और।** श्रीमान, मैं झालानी टूल्स इण्डिया लिमिटेड का मजदूर हूँ। गेडोर- झालानी टूल्स में मैंने 32 साल नौकरी की है। मैनेजमेन्ट ने हम मजदूरों को 54 महीनों की तनखायें नहीं दी हैं। सन् 1994 से झालानी टूल्स मैनेजमेन्ट ने हमारे भविष्य निधि के पैसे जमा नहीं करवाये हैं। सन् 1996 से रिटायर हुओं और मृतकों की ग्रेच्युटी की राशि भी मैनेजमेन्ट ने मजदूरों को नहीं दी है। अपने अन्य सहकर्मियों की तरह मेरे भी चार लाख रुपये झालानी टूल्स इण्डिया लिमिटेड पर बकाया हैं। राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, हरियाणा के मुख्य मंत्री, केन्द्र व राज्य के श्रम मंत्री, केन्द्र व राज्य के श्रम सचिव, हरियाणा के श्रम आयुक्त, फरीदाबाद के श्रम उपायुक्त, फरीदाबाद के उपायुक्त आदि- आदि को अनेकों शिकायतें की गई हैं परन्तु स्थिति उपरोक्त ही है। श्रीमान, आपका न्यायालय ऐसे में मुझे कानून अनुसार देय चार लाख रुपये झालानी टूल्स इण्डिया लिमिटेड से दिलवा दे तो मैं स्वयं ही फरीदाबाद छोड़ जाऊँगा।

उपरोक्त के दृष्टिगत श्रीमान से पुनः अनुरोध है कि नगर निगम फरीदाबाद द्वारा दायर प्रार्थनापत्र बेदखली तथा वसूली मुआवजा को खारिज करें।

दिनांक 13.7.03 हस्ताक्षर महेन्द्र कुमार

कानून-कानून (पेज तीन का शेष)

ओसवाल इलेक्ट्रिकल्स मजदूर : "प्लॉट 49 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में 32 परमानेन्ट और एक हजार कैजुअल तथा ठेकेदारों के जरिये रखे वरकर काम करते हैं। लगातार काम करवाते रहते हैं पर 6 महीने बाद प्रोविडेन्ट फण्ड निकलवाने को कहते हैं— उसी वरकर का नया पी.एफ. नम्बर करवा देते है, नया ई.एस. आई. नम्बर तक करवा देते हैं।"

मेरठ से —(पेज चार का शेष)

विजयपाल को काम पर लगा दिया। मरम्मत कार्य के दौरान बिजलीघर से लाइन चालू कर दिये जाने के कारण दोनों रिटायर्ड वरकर बुरी तरह जल गये। मौके पर मौजूद बिजली बोर्ड एस.डी.ओ. उन्हें नर्सिंग होम ले गया। बिजली विभाग दवा तक का खर्चा नहीं दे रहा, मुआवजे का तो प्रश्न ही नहीं। बिजली बोर्ड जे.ई. कहता है कि ऐसा कोई नियम ही नहीं है जिसके तहत कार्य में लगाये रिटायर्ड कर्मियों का चिकित्सा खर्च दिया जाये। —नीलम

कानून – कानून

सागर शूज मजदूर : "प्लॉट 143 सैक्टर-25 स्थित फैक्ट्री में सौ-सवा सौ मजदूर काम करते हैं परन्तु दस-बारह की ही ई.एस.आई. तथा पी.एफ. हैं। हैल्परों को 1500-1600 रुपये महीना वेतन है और जून का आज 12 जुलाई तक नहीं दिया है। पहले हीटरों से माल पकाते थे पर अब कोयले की भट्टियों से यह करते हैं – फैक्ट्री धूँये से भरी रहती है। ओवर टाइम का भुगतान सिंगल रेट से करते हैं।"

इन्जेक्टो लिमिटेड वरकर : "20/5 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में दिसम्बर 02 का वेतन 3-4 जुलाई को दिया और जनवरी से जून की 6 महीनों की तनखायें आज 14 जुलाई तक नहीं दी हैं। दो साल का बोनस, तीन वर्ष की वर्दियाँ, तीन महीनों का गुड़-साबुन भी नहीं दिये हैं। श्रम विभाग के नाकारा साबित होने पर मार्च और जून में डी.सी. को खुले दरबार में शिकायतें की – कोई असर नहीं हुआ है। तनखा माँगने पर जून से 3 मजदूर निलम्बित कर रखे हैं।"

लोल मिल मजदूर : "इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में श्रम विभाग की सूची दिखाने पर भी हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन वाला ग्रेड नहीं देते। हफ्ते में एक छुट्टी करने पर साप्ताहिक छुट्टी काट लेते हैं। वेतन किस्तों में देते हैं और जून की तनखा आज 16 जुलाई तक देनी शुरू नहीं की है। इस सब पर एतराज करने पर डायरेक्टर मारने दौड़ता है।"

फरीदाबाद फैब्रिकेटर्स वरकर : "प्लॉट 311, 312, 313 और 369 सैक्टर-24 स्थित कम्पनी में हमारे वेतन में से कमीशन लेना जारी है। पुलिस में शिकायत और अखबार में छपने के बाद भी तनखा मिलते ही हम से फैक्ट्री में कमीशन के पैसे वसूले जा रहे हैं।"

नेस्टर फार्मास्युटिकल मजदूर : "अनाज गोदाम के पास स्थित फैक्ट्री में 8-10 परमानेन्ट, 100 कैजुअल और 500 मजदूर ठेकेदारों के जरिये रखे हैं। काम अधिक होता है तब कैजुअलों से 6 महीनों से भी ज्यादा लगातार काम करवाते हैं लेकिन 6 महीने बाद ब्रेक दिखा कर ई.एस.आई. तथा पी.एफ. वेतन में से नहीं काटते। ठेकेदारों के जरिये रखों की तो ई.एस.आई. तथा पी.एफ. कभी भी होती ही नहीं और 1600 रुपये महीना तनखा देते हैं। अन्यों को बोनस देते हैं लेकिन 1600 रुपये तनखा वालों को नहीं देते। ओवर टाइम के 6-7 रुपये घण्टा देते हैं जबकि सिंगल रेट से भी दस रुपये घण्टा से अधिक है।"

जगसनपाल फार्मास्युटिकल मजदूर : "बदरपुर बॉरडर स्थित फैक्ट्री में जुलाई 02 से देय डी.ए. के 7 रुपये तो दिये ही नहीं, जनवरी 03 से देय डी.ए. के 58 रुपये भी नहीं दिये हैं। कैन्टीन में मात्र दाल और चाय बनती हैं।"

बी एच डब्लू कैसल्स वरकर : "प्लॉट 24 सैक्टर-27 सी स्थित फैक्ट्री में 18 जुलाई को 2 बजे श्रम विभाग के अधिकारी पहुँचे। जिन मजदूरों की ई.एस.आई. और पी.एफ. नहीं थे उन्हे मैनेजमेन्ट ने छत पर चढा दिया। अधिकारी खानापूर्ति कर चले गये।"

सुपर आटो मजदूर : "प्लॉट 84 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में भर्ती के समय फोटो ले कर ब्लैंक वाउचरों पर हस्ताक्षर करवाते हैं। हैल्परों को 1400-1500 रुपये महीना तनखा देते हैं– ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। मैनेजमेन्ट ने बरसों से काम कर रहे 11 मजदूरों को अचानक 15 जुलाई को यह कह कर नौकरी से निकाल दिया कि फैक्ट्री में काम नहीं है और उन्हें धमकी दी है कि कम्पनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करें।"

रेबेस्टोस वरकर : "प्लॉट 111 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में 90 परमानेन्ट और 210 कैजुअल वरकर हैं। कैजुअलों को ई.एस.आई. कार्ड नहीं देते और ब्रेक करते हैं तब हिसाब के लिये महीने-भर चक्कर कटवाते हैं। हम कैजुअलों को वेतन भी 10 तारीख के बाद देते हैं। मेन्टेनेन्स की कमी के कारण एक्सीडेन्ट बहुत होते हैं। मशीन खराब होने पर भी पूरा निर्धारित उत्पादन माँगते हैं।" (बाकी पेज दो पर)

प्रिसिजन स्टैम्पिंग मजदूर : "प्लॉट 106 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में ठेकेदारों के जरिये रखे हैल्परों को 1500 और ऑपरेटरों को 1800 रुपये महीना तनखा देते हैं। हैल्परों से मशीन भी चलवाते हैं।"

तनखा नहीं दी

★ **री-यूनियन इंजिनियरिंग** में मार्च, अप्रैल और मई की तनखायें 12 जुलाई तक नहीं दी थी; ★ **कारटमास्टर** में ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों को 1600 रुपये महीना तनखा और जून का वेतन 15 जुलाई तक नहीं; ★ **आटोपिन** में तीन महीने की पिछले वर्ष की बकाया हैं और इधर मार्च, अप्रैल, मई तथा जून की तनखायें भी 21 जुलाई तक नहीं दी हैं; ★ **मेल्को प्रिसिजन** में जून का वेतन 24 जुलाई तक नहीं और धमकाने के लिये 9 मजदूर निलम्बित; ★ **क्लच आटो** में स्थाई मजदूरों को जून का वेतन 18 जुलाई को पूरा किया, कैजुअल वरकरों को 23 जुलाई को पूरा किया और स्टाफ को जून का वेतन 24 जुलाई तक देना भी शुरू नहीं किया था; ★ **खन्ना इन्टरप्राइजेज** में हेल्पर को 1400 तथा ऑपरेटर को 1800 रुपये महीना तनखा और जून की तनखा 17 जुलाई तक नहीं दी थी; ★ **स्काईलैब** में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट, ओवरटाइम भुगतान सिंगल रेट से और जून का वेतन 22 जुलाई तक नहीं दिया था; ★ **उत्तम गैस** में जून की तनखा 22 जुलाई तक नहीं दी थी; ★ **बाकमैन इन्डस्ट्रीज** में हैल्परों को महीने के 1400-1500 रुपये और मई तथा जून की तनखायें 19 जुलाई तक नहीं दी थी; ★ **लालडी** में जून का वेतन 19 जुलाई तक नहीं दिया था; ★ **आर.आर. आटोमोटिव** में तनखा किस्तों में देते हैं और मई का वेतन भी 16 जुलाई तक पूरा नहीं दिया था तथा जून का देना ही शुरू नहीं किया था – विरोध में 15 जुलाई को मजदूर फैक्ट्री गेट पर बैठे; ★ **चारू इलेक्ट्रिकल्स** में जून की तनखा 19 जुलाई तक नहीं दी थी;.....

जी. ई. मोटर्स

जी.ई.मोटर्स मजदूर : "सैक्टर-11 में स्थित जी.ई. मोटर में लगातार उत्पादन में वृद्धि के कारण मजदूरों का ड्युटी करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैनेजमेन्ट के चमचे (ग्रुप लीडर) उत्पादन बढाने में मैनेजमेन्ट का पूरा साथ दे रहे हैं। ई.एच.एस. के नाम पर मजदूर प्लास्टिक के धुँधले चश्मे पहनने को मजबूर हैं जिनसे कुछ दिखाई भी नहीं देता है। अगर किसी भी समय चश्मा ना पहने हुये या सिर पर चश्मा लगाये हुये कोई मजदूर पकड़ा जाता है तो दो बार तक 50 रुपये जुर्माना है और तीसरी बार पर उसे निलम्बित करने का कानून कम्पनी ने बना दिया है। जुर्माना से मैनेजमेन्ट अपनी जेबें भरने में लगी है। **कम्पनी में साप्ताहिक अवकाश की जगह अब मैनेजमेन्ट दस दिन में एक छुट्टी देने लगी है और कहती है कि यही सरकार का नियम है।** एडवान्स ट्रेनिंग के दौरान पहले कम्पनी प्रत्येक मजदूर को 300 रुपये अतिरिक्त देती थी लेकिन अब वो भी बन्द कर दिया है। कम्पनी में साल में एक जोड़ी जूते देते हैं – ट्रेनिंग वालों को वो भी घटिया। ऐसी ही दुभान्त दिवाली उपहार में है – ट्रेनिंग वालों को मैनेजमेन्ट सस्ता व घटिया उपहार देती है। सभी लीडर बिके हुये हैं क्योंकि मैनेजमेन्ट समय-समय पर उनका मुँह बन्द करती रहती है। **जी.ई.मोटर कम्पनी में रात को बारह बजे के बाद शौचालय व बाथरूम का पानी बन्द कर दिया जाता है** जिससे मजदूरों को शौच जाने व हाथ साफ करने में गन्दगी व परेशानी का सामना करना पड़ता है। **कम्पनी में कार्ड पंचिंग मशीन की खराबी व टाइम आफिस की गलती से काफी मजदूरों की अनुपस्थितियाँ लग जाती हैं** जिनको ठीक करवाने के लिये मैनेजमेन्ट के गाली-गलौच वाले अभद्र व्यवहार का सामना करना पड़ता है, डाँट खानी पड़ती हैं और चक्कर काटने पड़ते हैं। फिर भी, आधी हाजरियाँ ही ठीक की जाती हैं और आधी बिना वेतन में चली जाती हैं। ऐसा यहाँ हर महीने होता है। यह जी.ई. मोटर में बड़ी समस्या है। कहते हैं कि पहले छुट्टी मंजूर कराओ तभी छुट्टी मिलेगी परन्तु सुपरवाइजर छुट्टी मंजूर करते ही नहीं। अगर कोई मजदूर किसी कारण छुट्टी कर लेता है तो बाद में सुपरवाइजर छुट्टी पर हस्ताक्षर नहीं करते और वह बिना वेतन वाली हो जाती है।"

डाक पता : मजदूर लाईब्रेरी,
आटोपिन झुग्गी,
एन.आई.टी
फरीदाबाद–121001

नोएडा से -

✱ ग्रेटर नोएडा स्थित **देवू मोटर्स** का अन्त हो गया है। इस कम्पनी का आरम्भ 1984 में **डी.सी.एम.** व **टोयोटा** कम्पनियों ने मिल कर किया था। डी.सी.एम. ने अपना हिसाब ले लिया और 1994 में **देवू कम्पनी** इसमें हिस्सेदार बनी। टोयोटा भी पैसे ले कर अलग हो गई और कम्पनी का नाम देवू मोटर्स हो गया। नोएडा फैक्ट्री में डायना कार के स्थान पर सियेलो कार बनाई जाने लगी।

मण्डी के समुद्र में कम्पनियाँ कागज की नाव हैं। कोरिया स्थित मुख्यालय वाली विशाल देवू कम्पनी डूब गई। दिवालियेपन की तरफ बढ रही कम्पनी ने अपनी अन्य इकाइयों की ही तरह देवू मोटर्स से सितम्बर 01 में 237 मजदूरों की छँटनी की। मार्च 02 में 450 अन्य मजदूरों को निकालने में असफल होने पर जुलाई से वेतन में 30 प्रतिशत कटौती की। फिर भी, वर्ष- अन्त तक फैक्ट्री में उत्पादन बन्द कर दिया गया। एक- एक कर डायरेक्टर चलते बने और अप्रैल 03 में आखिरी डायरेक्टर कम्पनी सम्पत्ति बैंकों को सौंप गया। देवू मोटर्स पर ही बैंकों का 1200 करोड़ रुपये कर्ज था। फैक्ट्री पर कब्जे के लिये बैंक पहुँचे तो 19 मई को 1500 मजदूरों से टकराव हुआ। लाठी- गोली से पुलिस ने मजदूरों तथा आस- पास के गाँवों से आये मजदूर समर्थकों को फैक्ट्री से निकाला। सड़क पर फेंक दिये गये मजदूरों और बैंकों के बीच नेताओं के जरिये "समझौते" की बातें केन्द्र तथा उत्तर प्रदेश सरकार कर रही हैं।

✱ नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद और मोहननगर स्थित 9 फैक्ट्रियों में **शाही एक्सपोर्ट समूह** निर्यात के लिये सिले- सिलाये कपड़े तैयार करवाता है। इस माल का क्रेता- बायर है **वालमार्ट कम्पनी**। दमन- शोषण के खिलाफ शाही एक्सपोर्ट की नोएडा स्थित तीन फैक्ट्रियों के मजदूर सितम्बर 01 में एक संयुक्त संघर्ष समिति बना कर लड़े थे परन्तु नेताओं के फेर में पड़ने के कारण दबा दिये गये। मजदूरों के तेवरों से गहरे तक हिली कम्पनी अपनी जकड़ बनाये रखने के लिये तब से गाली- गलौच, बात- बात में हफ्ते- भर गेट बन्द करने व नौकरी से निकाल देने की धमकी, एक घण्टे के लन्च समय को आधा घण्टा करने, चाय देना बन्द, ओवरटाइम में रोटी के 15 रुपये बन्द, पेशाब के लिये टोकन, पानी सिर्फ लन्च समय .... हरकतें कर रही है।

उपरोक्त जानकारियाँ हम ने अखबार **"बिगुल"** द्वारा सत्यम वर्मा, 29 यू.एन. आई. अपार्टमेन्ट, जी.एच. 2 सैक्टर- 11, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201010 के जून 03 अंक से ली हैं। शाही एक्सपोर्ट कम्पनी तो "बिगुल" की सामग्री से इस कदर बौखलाई कि 16 जुलाई को "बिगुल" बाँट रहे तीन लोगों को पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया। नोएडा सैक्टर- 24 थाने में बन्द कर मारपीट करते पुलिस अधिकारी कह रहे थे : "मजदूरों को भड़काते हो ! नोएडा में अशान्ति फैलाते हो !"

मेरठ से -

✱ **उत्तर प्रदेश रोडवेज बस चालक** ओंकार सिंह मेरठ (भैंसाली) रोडवेज डिपो के वेटिंग रूम में यूँ सोया कि कभी नहीं उठेगा। बीमारी के कारण कुछ दिन ड्युटी नहीं जाने पर जाँच कार्यवाही का नाटक कर ड्राइवर ओंकार को नौकरी से निकाल दिया गया। बहाली के लिये आर.एम., ए.आर.एम. और लखनऊ के दो महीनों से चक्कर काटते ओंकार को आश्वासन थोक में मिले और रिश्वत के लिये मामला लटकाया जाता रहा। अफसरों- नेताओं के चक्कर काटते- काटते बरखास्त ड्राइवर ओंकार सिंह की मेरठ बस स्टैण्ड पर मृत्यु हो गई।

✱ मेरठ क्षेत्र के अमीरजादे इन दिनों **कच्छा-बनियान** से आतंकित हैं। पैसेवालों के दबाव में पुलिस इस- उस गरीब को पकड़ कर मार रही है और लाशों को जंगलों में ले जा कर मुठभेड़ में बदमाश मारने की बातें करती है। तीन जुलाई को बिजेन्द्र, कुशलपाल की फोटो मारे गये तीन कुख्यात बदमाशों के नाम से अखबारों में छपी। परिजनों ने शव प्राप्त किये, तीसरे अनाम व्यक्ति का भी। लाशों को कमिश्नर के आवास पर रख कर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बिजेन्द्र बदायूँ का था और मोदीनगर की एक फैक्ट्री में कपड़ा छपाई का काम करता था। सरधना (मेरठ) क्षेत्र का विजयपाल दिहाडी मजदूर था। दोनों मजदूरों के खिलाफ किसी थाने में कोई मामला दर्ज नहीं है। मार डाले गये तीसरे व्यक्ति को पता नहीं कहाँ से पकड़ कर पुलिस लाई थी।

✱ **वी.आई.पी. नियम** सब नियमों से ऊपर हैं। ब्रेक डाउन के कारण बेगमपुल वी.आई.पी. क्षेत्र में अन्धेरा हो गया। बिजली बोर्ड अधिकारियों ने रात को ही नियम- विरुद्ध रिटायर्ड लाइनमैन रामचन्द्र और **(बाकी पेज दो पर)**

बन्दी वाणी

[अमरीका सरकार ने "अपने" बीस लाख लोगों को सजा दे कर और आठ लाख को विचाराधीन कैदी के रूप में बन्दी बना रखा है। यूँ तो सम्पूर्ण संसार ही जेलखाने में ढाल दिया गया है, अधिकाधिक ढाला जा रहा है, फिर भी, सरकारों के कारागारों में बन्द हमारे बन्धुओं पर जकड़ हम से अधिक होती है। अनुवाद की और सन्दर्भों की दिक्कतों के कारण यहाँ हम अपने शब्दों में अमरीका सरकार के कैदखानों में बन्द लोगों की वाणी को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं।]

अपराध, पैसा, नशा (ड्रग्स) और शक्ति- सत्ता उस घातक वृत के मुख्य तत्व हैं जिसे तोड़ने की हम सब इच्छा रखते हैं लेकिन ऐसा करने में समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यह चक्रव्यूह टूट क्यों नहीं रहा? इसलिये कि यह शक्ति- सत्ता है। बिना शक्ति- सत्ता के सरकार लाचार हो जायेगी।

अमरीका में समाज का निर्माण ठोस आपराधिक आधारों पर हुआ है। उदाहरण के लिये : अमरीका की कथित खोज ने स्थानीय निवासियों का कत्लेआम आरम्भ किया, यूरोप से गरीब यहाँ खदेड़े गये, अफ्रीका से गुलाम बना कर लोग लाये गये....

गणित की भाषा में कहें तो अपराध जमा नशा (ड्रग्स) बराबर पैसा और शक्ति- सत्ता। पैसा जमा शक्ति- सत्ता बराबर पहचान- प्रतिष्ठा, जो कि कथित "अमरीकी स्वप्न" का आधार है। और, यह पहचान- प्रतिष्ठा अमरीका में समाज का लक्ष्य लगती है। इस घातक चक्रव्यूह से छेड़छाड़ के प्रयास अधिक आपराधिक गतिविधियाँ लाने के संग- संग इस चक्रव्यूह को पुख्ता करते हैं। अर्थहीन हत्यायें, दँगे और गिरफ्तारियों की बढती दर.... लोग भुगतते हैं, कुछ ज्यादा तो कुछ कम लेकिन सरकार की सम्पन्नता व शक्ति बढती है और परिणाम से सरकार प्रसन्न रहती है।

ऊपर से, लोगों को सरकार की आवश्यकता महसूस होने लगती है जबकि सरकार ही लोगों का विनाश कर रही है। सरकार उस दलाल के समान है जो वेश्याओं की इतनी अच्छी देखभाल करता है कि वेश्याओं को लगता है कि दलाल के बिना उनका गुजारा नहीं। सरकार दलाल की भूमिका निभाती है जबकि सरकार की शक्ति- सत्ता से चौंधियाये लोग रंडियाँ बन जाते हैं।

राजनेताओं के लिये अपराध एक सशक्त जरिया है। स्वयं करते हों अथवा नहीं, अपराध से राजनेता शक्तिशाली बनते हैं। यह तथ्य है कि समाज तथा सरकार लोगों की असफलता सुनिश्चित करते हैं और लोगों को मिटाने में लगे हैं। अपनी शक्ति- सत्ता के मद में समाज तथा सरकार इस कदर अन्धे हो गये हैं कि उन्हें अपना स्वयं का निकट पहुँच गया विनाश दिखाई नहीं दे रहा।

अपराध, पैसा, नशा और शक्ति- सत्ता के विरोध में हमारे सकारात्मक कदमों का महत्व है लेकिन .... लेकिन सरकार के रहते इस चक्रव्यूह को मटियामेट नहीं किया जा सकता क्योंकि सरकार इस घातक चक्रव्यूह की रक्षक व पोषक है। सरकार के रहते इस चक्रव्यूह की दरारें पाटी जाती रहेंगी तथा यह अधिक घातक बनाया जाता रहेगा।

अपराध, पैसा, नशा और शक्ति- सत्ता के घातक चक्रव्यूह से मुक्ति के लिये आइये इसके रक्षक- पोषक समाज- सरकार को निशाने पर लायें।

इसके बारे में विचार कीजिये ! हम मृत्यु की परछाइयों में निवास करते हैं !!

– ली, अमरीका सरकार के कारागार में बन्दी

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० आफसैट दिल्ली से मुद्रित किया। **RN 42233** पोस्टल रजिस्ट्रेशन **L/HR/FBD/73**
सौरभ लेजर टाइपसैटर्स, बी-546 नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।